कालीगण्डकी गाउँपालिका

# गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

विर्घा स्याङ्जा

स्थापित २०७३

फोनः ९८५६०००७७०, ९८५६०१११७३

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०७९/८०

चलानी न. ११५१

मितीः २०८०/०१/१३

**श्री वडा कार्यालय सबै**

**श्री विषयगत शाखाहरु सबै**

**कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा ।**

**विषय : आ.व. २०८०/८१ को लागि बजेट सीमा निर्धारण तथा बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाईएको सम्बन्धमा ।**

उपरोक्त सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ बमोजिम गठित स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको मिति २०८० वैशाख ६ गते बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी यसै साथ संलग्न गरी पठाईएको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तय गरेको मार्ग दर्शन र सीमा भित्र रही बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरी / गराई वडा समितिबाट प्राथमिकिरण सहित मिति २०८० जेठ १० गते अगावै यस गाउँपालिकामा पेश गर्न का लागि अनुरोध छ ।

देवेन्द्र पाण्डेय

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

र्णय नं १ : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी कार्ययोजना तालिका

| ...नं. | विवरण | मिति | प्रमुख जिम्मेवारी | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | **२०८०/०८१ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्ययोजना (प्रस्तावित)** | | | |
| १ | श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निधारण समितिको बैठक | २०८० वैशाख ६ गते | पालिका अध्यक्ष | |
| २ | वडा तथा विषयगत शामा सीमा सहित पत्राचार | २०८० वैशाख १५ गते सम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| ३ | वडाहरुले बस्ती भेला मार्फत योजना छनौट | २०८० वैशाख मसान्तसम्म | वडा अध्यक्ष | |
| ४ | वडा स्तरमा योजनाको प्राथमिकरण गरी गाउँपालिकामा पेश गर्ने | २०८० जेठ १० गतेसम्म | वडा अध्यक्ष | |
| ५ | **गाउँपलिकामा विषयगत समितिमा प्राथमिकरण** | | | |
| ५.१ | आर्थिका विकास समिति | २०८० जेठ ११ गतेसम्म | विषयगत समिति संयोजक | |
| ५.२ | सामाजिक विकास समिति | २०८० जेठ १२ गतेसम्म | विषयगत समिति संयोजक | |
| ५.३ | पूर्वाधार विकास समिति | २०८० जेठ १३ गतेसम्म | विषयगत समिति संयोजक | |
| ५.४ | वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति | २०८० जेठ १४ गतेसम्म | विषयगत समिति संयोजक | |
| ५.५ | संस्थागत विकास तथा सुशासन समिति | २०८० जेठ १५ गतेसम्म | विषयगत समिति संयोजक | |
| ६ | विषयगत समितिमा छलफल र प्राथमिकता निर्धारण तथा साङ्केतिकरण | २०८० जेठ २५ गतेसम्म | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति | |
| ७ | बजेट (राजस्व, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने | २०८० जेठ मसान्त सम्म | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति | |
| ८ | गैसस तथा विकास साझेदारको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समावेश गर्ने | २०८० असार १ गते सम्म | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति | |
| ९ | आर्थिक विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने | २०८० असार ३ गते सम्म | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति | |
| १० | विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने | २०८० असार ३ गते सम्म | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति | |
| ११ | कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृती | २०७९ असार ५ गते | पालिका अध्यक्ष | |
| १२ | **वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सभामा प्रस्तुत गर्ने** | **२०८० असार ७ गते** | **पालिका अध्यक्ष** | |
| १३ | **वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सभामा प्रस्तुत गर्ने** | **२०८० असार १० गते** | **पालिका उपाध्यक्ष** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १४ | **बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने** | **२०८० असार २५ गते सम्म** | **पालिका अध्यक्ष** | |
| १५ | बजेट तथा नीति कार्यक्रम स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली सुत्रमा प्रविष्ट गर्ने | २०८० असार मसान्तसम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| १६ | आर्थिक ऐन तथा विनियोजन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने | २०८० असार मसान्तसम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| १७ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी | २०८० साउन ७ गते सम्म | पालिका अध्यक्ष | |
| १८ | बजेट पुस्तिका तयारी तथा छपाई | २०८० साउन १५ गते सम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| १९ | विषय शाखा तथा वडालाई अख्तियारी | २०८० साउन १५ गते सम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| २१ | विषयगत महाशाखा, शाखा र एकाई प्रमुख तथा वडा सचिवले वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने | २०८० साउन २२ गते सम्म | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | |
| २२ | वार्षिक विकास कार्यक्रम, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद योजना तर्जुमा तथा स्वीकृती | २०८० साउन मसान्तसम्म | पालिका अध्यक्ष | |
| २३ | अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना पेश गर्ने | २०८० भाद्र १५ गते सम्म | पालिका उपाध्यक्ष | |

कालीगण्डकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
स्याङ्जा

निर्णय नं २ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानति राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान विवरण तपसिल बमोजिम हुने निर्णय गरियो ।

| सि.न. | राजश्व शीर्षक | चालु आ.वको अनुमान | २०८०/८१को अनुमान |
|---|---|---|---|
| 1 | भुमिकर/मालपोत | ८००००० | ८२४००० |
| 2 | घरजग्गा रजिष्टेशन दस्तुर | ४००००० | ४१२००० |
| 3 | घरवहाल कर | ३००००० | ३८३००० |
| 4 | बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिबृद्धि कर | ५५४४५६०० | ५४३२९५२० |
| 5 | बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त:शुल्क | २३७६२४०० | २३२८४०८० |
| 6 | बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर | ४८८४००० | ५४२७००० |
| 7 | कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा ल | ५००००० | ५१५००० |
| 8 | समानिकरण अनुदान संघीय सरकार | १०९३००००० | ९६५००००० |
| 9 | समानिकरण अनुदान प्रदेश सरकार | १२१९९००० | १२२३८००० |
| 10 | शसर्त अनुदान चालु | १९८६००००० | ० |
| 11 | शसर्त अनुदान पुँजीगत | ६०६७१६६२ | ० |
| 12 | विषेश अनुदान पुँजीगत | २५०००००० | ० |
| 13 | समपुरक अनुदान पुँजीगत | २५०००००० | ० |
| 14 | बाँडफाँड भई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्धी रोयल्टी | ५००००००० | ५०००००००. |
| 15 | बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने उ | ७००००० | ० |
| 16 | अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी | ३३००००० | ३३५०००० |
| 17 | सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम | ३००००० | ३१०००० |
| 18 | परीक्षा शुल्क | ५०००० | ५२००० |
| 19 | अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | ३००००० | ३१०००० |
| 20 | नक्सापास दस्तुर | १५०००० | १५४००० |
| 21 | सिफारिश दस्तुर | १५००००० | १५२०००० |
| 22 | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ३००००० | ३१०००० |
| 23 | नाता प्रमाणित दस्तुर | १५०००० | १५४००० |
| 24 | अन्य दस्तुर | ३००००० | ३०९००० |
| 25 | व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर | १५०००० | १५४००० |
| 26 | अन्य क्षेत्रको आय | ४००००० | ४१२००० |
| 27 | प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत | ४००००० | ४१२००० |
| 28 | धरौटी सदरस्याहा | २५०००० | २५०००० |
| 29 | अन्य राजस्व | ४००००० | ४१२००० |
| 30 | व्यवसाय कर | २५०००० | २५७००० |
| 31 | बेरूजू | ५००००० | ५००००० |
| 32 | बैंक मौज्दात | १०११८१५५४ | २५०००००० |
|  | कुल आय | ६७७४४४२१६ | २७७७७८६०० |

निर्णय नं ३ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि तपसिल बमोजिमको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

| सि.न. | विवरण | रकम रु हजारमा |
|---|---|---|
| 1 | **कुल अनुमानित बजेट** | **२७७७७८.६** |
| 2 | तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक रकम | ८४८००. |
| 3 | पालिका गौरबका आयोजना | ०. |
| 4 | समपूरक अनुदानबाट कार्यान्यिनहुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम | २५०००. |
| 5 | शसर्त अनुदानको लागि तोकिएको रकम | २५०००. |
| 6 | दीगो विकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय/ अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम | |
| 7 | **बाँकी रकम** | **१४२९७८.६** |
| 8 | पालिका स्तरीय विषयगत क्षेत्रका लागि आवश्यक रकम | ११७९७८.६ |
| 9 | वडा स्तरीय योजनाका लागि आवश्यक | २५०००. |

**निर्णय नं ४**

न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र चालु गरी वडागत रुपमा तपसिल बमोजिमको बजेट सीमा निर्धारण गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

रु हजारमा

| वडा नं | न्यूनतम बजेट | सुत्रमा आधारित बजेट | जम्मा | चालु तर्फ | पूँजीगत तर्फ |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ३२०० | ४०४.१० | ३६०४.१० | २०० | ३४०४.१० |
| २ | ३२०० | ४११.९० | ३६११.९० | २०० | ३४११.९० |
| ३ | ३२०० | ३६१.३० | ३५६१.३० | २०० | ३३६१.३० |
| ४ | ३२०० | ३७०.९० | ३५७०.९० | २०० | ३३७०.९० |
| ५ | ३२०० | ३२३.१० | ३५२३.१० | २०० | ३३२३.१० |
| ६ | ३२०० | ३१७.३० | ३५१७.३० | २०० | ३३१७.३० |
| ७ | ३२०० | ४११.४० | ३६११.४० | २०० | ३४११.४० |

**निर्णय नं ५**

आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुको तयारी गर्नका लागि तपसिल बमोजिमका मार्ग दर्शन पठाउने निर्णय गरियो ।

क) चालु तर्फ

रु २ लाखका दरले वडालाई बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । गाँउसभाबाट स्वीकृत बजेट जुन स्रोत र खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको छ सोही सीमाभित्र रही प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि र लेखाको मान्य सिद्धान्त बमोजिम पुष्ट्याईका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

| सि.न. | खर्च शिर्षक | विवरण | रु हजारमा |
|---|---|---|---|
| १ | २२२१२ | संचार महसुल | ५ |
| २ | २२२११ | इन्धन कार्यालय | २० |
| ३ | २२३११ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | ६० |
| ४ | २२७११ | विविध खर्च | ७० |
| ५ | २२३१५ | छपाई खर्च | १० |
| ६ | २२४१४ | सरसफाई सेवा शुल्क | १० |
| ७ | २२२१३ | मर्मत सम्भार खर्च | २५ |

१. संचार महसुल तथा इन्धन कर्मचारीहरुको लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
२. खर्च भै नजाने सामाग्रीहरु आवश्यकताका आधारमा गाउँपालिकाबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सिर्दी, स्याङ्जा

३. मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीबाट वडा कार्यालयलाई चाहिने स्टेस्नरी, कार्टेज, फोटोकपी पेपर, नेपाली कागज, प्रिन्टर तथा कम्प्युटर मर्मत समावेश गरिएकोछ सोही सीमा भित्र रहि खर्च व्यवस्थापन गर्न पर्नेछ ।

४. वडा कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न अनुसुची फारामहरु छपाई खर्चबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

ख) पूँजीगत तर्फ

वडा स्तरीय योजना छनौटका आधार र मार्गदर्शन निम्मानुसार हुनेछन् ।

१. वडाबाट संचालन भएका अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने र
२. योजना छनौट गर्दा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण संरक्षण एवं विपद व्यवस्थापन र सुशासन एवं संस्थागत विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना छनौट गर्नुपर्ने ।
३. भेला आयोजना हुने स्थान र समय तोकी ३ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना जारी गरी बस्ती / टोल बासीलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।
४. महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, स्थानीय स्रोत व्यक्ति, उद्यमी र व्यवसायी प्रतिनिधि, समुदायमा आधारित संस्थाहरुको प्रतिनिधी आदिको समेत समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरि बस्ती/ टोल स्तरमा योजना तर्जुमा भेला आयोजना गर्नुपर्ने ।
५. वडा स्तरमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा कृषि, पशुसेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, खानेपानी शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समेत प्राविधिक सेवा लिई छनौट गर्नुपर्नेछ ।
६. नतिजा देखिने खानका योजना छनौट गर्नुपर्ने ।
७. बस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्दा बढी भन्दा बढी समावेशी बनाई सबै पक्षको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
८. योजना छनौट गर्दा १ लाख भन्दा बढीका योजनाहरु मात्र छनौट गर्नुपर्नेछ ।
९. दुई वा सो भन्दा बढी वडा समेटिने तथा वडाको बजेट सीमाले नपुग्ने आयोजनाहरु आवश्यक भएमा महत्वपूर्ण परियोजना / कार्यक्रमहरुको छुट्टै सूची तयार गरी कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।

**निर्णय नं. ६**

विषयगत समितिको बजेट सीमा

| सि.न. | समिति | बजेट सीमा रु हजारमा | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | आर्थिक विकास समिति | २५००० | |
| २ | सामाजिक विकास समिति | ४०००० | |
| ३ | पूर्वाधार विकास समिति | ४०००० | |
| ४ | सुशासन तथा संथागत विकास | १०००० | |
| ५ | वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | २९७८.६ | |
| | **कुल जम्मा** | **११७९७८.६** | |

**आर्थिक विकासः**

यसक्षेत्र अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, पशुविकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय सेवा आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । यसका साथैदिगोविकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १ गरिबी हटाउनु, लक्ष्य २ शून्य भोकमरी, लक्ष्य ८ मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र लक्ष्य १० असमानतामा कमीलाईयसैविषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

**सामाजिक विकासः**

यस विषय क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संरक्षण, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,ज्येष्ठ नागरिक आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । साथैदिगोविकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य ३ स्वस्थ जीवन र आरोग्यता, लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षा, लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता, लक्ष्य ६ स्वच्छ पानी र सरसफाइलाईयस विषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

**पूर्वाधार विकासः**

यस विषय अन्तर्गत सडक तथा पुल, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत्, सञ्चार आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । यसैगरी दिगोविकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य ७ सबैलेधान्न सक्नेस्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य ९ उद्योग, नवीन खोज तथा पूर्वाधार र लक्ष्य ११ दिगोशहर तथा समुदाय आदिलाईयस क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

**सुशासन तथा संस्थागत विकासः**

सङ्गठन तथा मानव संशाधन, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिकोप्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय आदिलाई यस विषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ । दिगोविकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १६ शान्ति, न्यायपूर्ण समाज र बलिया संस्था र लक्ष्य १७ बहुसरोकार र साझेदारीलाईसमेत यस विषय क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

**वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन**

यस विषय क्षेत्रमा वन, भूतथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद्जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । साथै दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १२ उत्तरदायी उपभोग तथा उत्पादन, लक्ष्य १३ जलवायुपरिवर्तन अनुकूलन कार्य, लक्ष्य १५ जमिन माथिकोजीवनलाईयस विषय क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

**निर्णय नं ७ :** तपसिल बमोजिमको विषयहरुलाई मध्यनजर गरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट, प्राथमिकता निर्धारण गर्न बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन तयार गर्ने निर्णय गरियो।

- संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहकोकार्यजिम्मेवारी भित्र रहेका विषय, आयोजना तथा कार्यक्रम;
- आवधिक तथा विषयक्षेत्र रणनीतिक÷गुरुयोजनाकोसोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकता अनुसारका आयोजना तथा कार्यक्रम;
- चालुआर्थिक वर्षमा सञ्चालित क्रमागत, वहुवर्षीय र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रम;
- आयोजना बैङ्कमा समावेश भएको र वातावरणीय अध्ययन लगायत संभाव्यता अध्ययन भई डिजाइन, लागत अनुमान सहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजना तथा कार्यक्रम;
- अति विपन्न, सिमान्तकृत एवम्दलित, जनजाति, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक जस्ता लक्षित वर्ग, समुदाय र परिवारलाईप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रम;
- वातावरण संरक्षण तथा जलवायुपरिवर्तन तथा विपद्जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- गाउँ÷नगरपालिकाकोआन्तरिक आय वृद्धि गर्नयोगदान दिनसक्नेखालका उद्यमशील, उत्पादनशील र रोजगारीमूलक कार्यक्रम;
- स्थानीय स्रोत, साधन, सीप, दक्षता, क्षमता र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम व्यवसाय सिर्जना र विकास गर्नेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहीता र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम;
- कृषि, खाद्यान्न तथा पशुपक्षी उपजकोउत्पादन, व्यावसायीकरण, विविधिकरण र औद्योगीकरणलाईसहयोग पुर्‍याउन ेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- स्थानीय तहकोनीति तथा कानूनलेनिर्धारण गरेका दायित्वलाईसम्बोधन गर्नेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- योग, ज्ञान तथा सीप विकास, अध्ययन, खोज, अनुसन्धान र आविष्कारसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम;
- भूउपयोग योजना र क्षेत्र, वस्ती विकास तथा भौतिक विकास योजना तर्जुमा लगायत यस्ता योजनामा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम, बालबालिकालाईकेन्द्रविन्दुमा राखी उनीहरूका ेबचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- गाउँपालिकाको सन्तुलित विकासमा योगदान पुग्नेआयोजना तथा कार्यक्रम;
- कोभिड १९ लगायतका महामारी रोकथाम, उपचार, राहत र पुनर्लाभ र रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम आदि।

## अनुसूची २३:

# बस्ती/टोल स्तर आयोजना छनौट तथा सूची तयारी फाराम

*(दिग्दर्शनको परिच्छेद ४ को दफा ४.८ को चरण ३ को बुँदा ३.२ सँग सम्बन्धित)*

### क. वस्ती/टोल स्तरको आवश्यकता पहिचान तथा छनौट फाराम

| विषय क्षेत्र तथा उपक्षेत्र | के उपलब्ध छ ? (संभावना) | के छैन ? (आवश्यकता) | के हुनु पर्छ (कार्यक्रम/आयोजना) ? |
|---|---|---|---|
| **आर्थिक क्षेत्रः** कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र आदि । | | | |
| **सामाजिक क्षेत्रः** शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सँस्कृति प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण आदि । | | | |
| **पूर्वाधार क्षेत्र :** सडक तथा पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत्, सञ्चार आदि । | | | |
| **वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनः** वन तथा भू-संरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र सञ्चालन आदि । | | | |
| **संस्थागत विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहः** ऐन कानून तर्जुमा, संस्थागत विकास, स्रोत परिचालन, योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सूचना व्यवस्थापन आदि । | | | |

### ख. वस्ती/टोलस्तरबाट छनौट भई वडा समितिमा पेश गर्ने आयोजना विवरण फाराम

| विषय क्षेत्र | आयोजना/कार्यक्रम विवरण | | | लागत अनुमान (रु हजारमा) | | | | लाभान्वित घरधुरी/ जनसंख्या | माग गर्ने समूह, टोल/समुदाय वा वस्तीको नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नाम | स्थल/ स्थान | परिमाण | समुदायको योगदान | गापा/ नपा | अन्य | जम्मा | | |
| आर्थिक विकास | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| सामाजिक विकास | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**अनुसूची २४:**

## वडाको बजेट सीमा भित्रका वडास्तरीय आयोजना विवरण फाराम

*(दिग्दर्शनको परिच्छेद ४ को दफा ४.८ चरण ४ को ४.२ सँग सम्बन्धित)*

| प्रस्तावित आयोजना/कार्यक्रमको विवरण | | | | माग गर्ने (वडा/टोल/समूह/संस्था) | लाभान्वित घरधुरी वा जनसंख्या | कार्यान्वयन विधि | लागत तथा प्रस्तावित स्रोत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाम | स्थल | परिमाण | प्राथमिकता | | | | समुदाय | गापा/नपा | अन्य | जम्मा |
| आर्थिक विकास | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| सामाजिक विकास | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| पूर्वाधार विकास | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| सुशासन तथा सेवा प्रवाह | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |